भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3445**
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित और नियमित जल आपूर्ति**

**3445. श्री धर्मेन्द्र यादवः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य की घोषणा किए जाने के बावजूद देश के अनेक राज्यों के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लाखों परिवारों को अभी भी सुरक्षित पेयजल नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अब तक कुल कितने परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और राज्य-वार कितने परिवारों को अभी भी इस सुविधा से वंचित रखा गया है; और
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बावजूद नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं की जा रही है और जलापूर्ति में फ्लोराइड, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक तत्व पाए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक, देश के लगभग

19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है और शेष 3.54 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। दिनांक 03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत (सतही और भूजल दोनों), शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में पानी प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवार आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

***

**अनुबंध**

**दिनांक 12.03-2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**03.03.2026 तक देश भर में नल जल आपूर्ति की स्थिति**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आज की तारीख में कुल ग्रामीण परिवार | नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार | | नल जल आपूर्ति रहित ग्रामीण परिवार | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या में | % | संख्या में | % |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.62 | 0.62 | 100.00 | - | - |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 95.53 | 71.71 | 75.06 | 23.82 | 24.94 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2.29 | 2.29 | 100.00 | - | - |
| 4. | असम | 72.24 | 59.03 | 81.71 | 13.22 | 18.29 |
| 5. | बिहार | 167.55 | 160.36 | 95.71 | 7.19 | 4.29 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 49.97 | 41.20 | 82.44 | 8.77 | 17.56 |
| 7. | दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव | 0.85 | 0.85 | 100.00 | - | - |
| 8. | गोवा | 2.64 | 2.64 | 100.00 | - | - |
| 9. | गुजरात | 91.18 | 91.18 | 100.00 | - | - |
| 10. | हरियाणा | 30.41 | 30.41 | 100.00 | - | - |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 17.09 | 17.09 | 100.00 | - | - |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 19.26 | 15.64 | 81.23 | 3.61 | 18.77 |
| 13. | झारखंड | 62.53 | 34.51 | 55.18 | 28.03 | 44.82 |
| 14. | कर्नाटक | 101.31 | 87.83 | 86.70 | 13.48 | 13.30 |
| 15. | केरल | 70.77 | 38.84 | 54.88 | 31.93 | 45.12 |
| 16. | लद्दाख | 0.41 | 0.40 | 97.97 | 0.01 | 2.03 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 0.13 | 0.12 | 91.45 | 0.01 | 8.55 |
| 18. | महाराष्ट्र | 111.29 | 82.27 | 73.92 | 29.02 | 26.08 |
| 19. | मणिपुर | 146.78 | 132.75 | 90.44 | 14.02 | 9.56 |
| 20. | मेघालय | 4.52 | 3.59 | 79.60 | 0.92 | 20.40 |
| 21. | मिजोरम | 6.51 | 5.43 | 83.47 | 1.08 | 16.53 |
| 22. | नागालैंड | 1.33 | 1.33 | 100.00 | - | - |
| 23. | ओडिशा | 3.64 | 3.44 | 94.47 | 0.20 | 5.53 |
| 24. | पुदुचेरी | 88.64 | 68.48 | 77.25 | 20.17 | 22.75 |
| 25. | पंजाब | 1.15 | 1.15 | 100.00 | - | - |
| 26. | राजस्थान | 34.27 | 34.27 | 100.00 | - | - |
| 27. | सिक्किम | 107.69 | 63.00 | 58.50 | 44.69 | 41.50 |
| 28. | तमिलनाडु | 1.33 | 1.22 | 92.09 | 0.11 | 7.91 |
| 29. | तेलंगाना | 125.26 | 112.20 | 89.57 | 13.06 | 10.43 |
| 30. | त्रिपुरा | 53.98 | 53.98 | 100.00 | - | - |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 7.51 | 6.48 | 86.33 | 1.03 | 13.67 |
| 32. | उत्तराखंड | 267.20 | 243.72 | 91.21 | 23.48 | 8.79 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 14.48 | 14.19 | 97.97 | 0.29 | 2.03 |
| **कुल** | | **19,35.87** | **15,81.70** | **81.71** | **3,54.17** | **18.29** |

एचएच: परिवार  स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस